

31-12-2020


पञ्चावली पेश हुई। वकुलाय उग्रपक्ष उपस्थित
प्रकरण में बहस वकुलाय उग्रपक्ष सुनी
गयी। पञ्चावली वास्ते आदेश दिनांक 05-1-2021
को पेश हो।

05-1-2021

पञ्चावली वास्ते आदेश आज पेश हुई। वकुलाय
उग्रपक्ष उपस्थित। प्रकरण में बहस वकुलाय

उत्तमपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। परवम वत्स
पकुलाप उत्तमपक्ष ने निवेदन किया कि पुकरण
तकास्मा का है तथा तहसीलदार खण्डेला से
प्राप्त डिफ्री की पालना में विस्तृत विज्ञापन पुस्तक
प्राप्त हो चुका है। अतः मुताबिक विस्तृत विज्ञापन
पुस्तक पुकरण में अन्तिम डिफ्री जारी की जाये।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध
राजस्व रिफार्ड का अवलोकन किया गया एवं
तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त विस्तृत विज्ञापन
पुस्तक का अवलोकन किया गया। चूंकि
पुकरण तकास्मा का है और तहसीलदार खण्डेला
से प्राप्त डिफ्री की पालना में विस्तृत विज्ञापन
पुस्तक प्राप्त हो चुका है। अतः बाद, वादीगण
मुताबिक विस्तृत विज्ञापन पुस्तक दिनांक 30-12-2020
स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूपेण डिफ्री किया
जाता है। विस्तृत विज्ञापन पुस्तक अन्तिम डिफ्री
का भाग रहेगा। शवातेदार रिबपाल पूत्र गणपत
जाति मीठा के दफ्तर-दिससे में आई श्रुति पर
पंजाब नेशनल बैंक शाखा खण्डेला का रहन
दर्ज करते हुए मुताबिक विस्तृत विज्ञापन पुस्तक
राजस्व रिफार्ड में अमल दरमद हो। तदनुसार
पुकरण में पर्या डिफ्री जारी हो। पत्रावली फौजल
शुमार होकर नम्बर से रुम हो तथा बाद
तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज
दिनांक 05.1.2021 से मेरे द्वारा दस्तखत कर
न्यायालयी मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया
गया।



(शरदेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला